


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

एस डी ओ फागी बनाम 1. नारायण लाल

2. तहसीलदार फागी

केस संख्या 148/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष दिवस
07.10.2019	<p>उपखण्ड अधिकारी फागी ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/कोर्ट/19/524दिनांक 20.09.2019 से उनके न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली संख्या 70/2018 ब उनवानी उनवानी नारायण लाल बनाम तहसीलदार फागी संलग्न प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि प्रकरण में वादी पक्ष द्वारा मोबाईल नं. 99283 70772 से फोन कर पीठासीन अधिकारी पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्य किसी न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। न्यायहित में उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन उक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय में स्थानान्तरित किया जाता है।</p> <p>मूल पत्रावली उपखण्ड अधिकारी फागी को प्रेषित की जा कर निर्देशित किया जाता है कि दर्ज रजिस्टर में वांछित इन्द्राज करने के पश्चात अग्रिम सुनवाई हेतु मूल पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित कर दी जावे।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। प्रतिलिपि हस्ब जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर जयपुर</p>	